

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठसीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 92/17

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956
अनवान

शान्ता देवी पत्नि उमाशंकर श्रोत्रिय उम्र 70 वर्ष निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी तहसील भीलवाडा (राजस्थान)

प्रार्थिया

बनाम

1. धन्ना लाल चोबी उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. काना पिता भैरु गाडरी उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. हेमा पिता भैरु गाडरी उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. काना पिता रामा गाडरी उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. काशीराम पिता रामा गाडरी उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. मगना पिता बालू गुजर उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. बालू पिता रूपलाल पंचोली उम्र वयस्क निवासी गेगाकाखेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक 10/11/17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 10/11/17 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गेगाकाखेडा, पटवार मण्डल गेगाकाखेडा, भू.अ.निरीक्षक आकोला, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की आराजी संख्या 344 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक आकोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट माफत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम गेगाकाखेडा, पटवार मण्डल गेगाकाखेडा, भू.अ.निरीक्षक आकोला, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि की आराजी संख्या 344 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला-भीलवाडा